न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 71/2022/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांक: 23.03.2022
अन्तर्गत धारा: 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

रामकरण आत्मज भूरा जाति गुर्जर निवासी 63 ढाणी कोलना उर्फ लक्ष्मीपुरा तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा

...अपीलांट

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये सहायक वन संरक्षक अधिकारी, कोटा

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री दयाराम सैन अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 23.07.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 42/2019 (अपील) बउनवान रामकरण बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.03.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, वन मण्डल, कोटा द्वारा ग्राम आलनियां की खसरा संख्या 99 की रकबा 0.056 हैक्टेयर वन भूमि में क्षेत्रीय वन अधिकारी मण्डाना की अतिक्रमण की रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वन भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 156/2018 दर्ज कर अपीलांट को अतिक्रमित की गई भूमि से बेदखली एवं 2100/– जुर्माना के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 05.02.2019 को निर्णय पारित किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर कोटा को पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.02.2019 से अपील अस्वीकार कर निर्णय दिनांक 02.03.2021 से खारिज की गई। प्रथम अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई। जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि परीक्षण न्यायालय सहायक वन सरंक्षक कोटा द्वारा ग्राम आलनिया की खसरा संख्या 99 की रकबा 0.056 हैक्टेयर वन भूमि में अतिक्रमी मानकर अपीलांट को उक्त आराजी पर भूमि से बेदखल करने का तथा 2100/– रूपये तावान कायम करने का आदेश प्रदान किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के सरसरी तौर पर अपील खारिज करने में त्रुटि की है। परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपनी जवाबदेही करने का तथा

साक्ष्य पेश करने का तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी से जिरह करने का मौका प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय जेरअपील पारित किया है, जो निरस्तनीय है। जिस भूमि पर अपीलांट काबिज है, वह वन विभाग की भूमि नहीं है तथा ग्राम आलनिया जिसका खसरा संख्या 98 की 0.01 हैक्टेयर भूमि जो राजस्व रिकोर्ड गैर मुमकिन चाही सिवायचक दर्ज है। उक्त आराजी पर अपीलांट ने कच्चे पत्थरों से मकान बना रखा है तथा उक्त आराजी पर अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज चले आ रहे है। अपीलांट को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जबरन बेदखल कर दिया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार होकर जेरअपील निर्णय निरस्त करने तथा आराजी खसरा संख्या 98 की रकबा 0.01 हैक्टेयर से बेदखल नहीं करने का अनुरोध किया।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज तथा वर्तमान में भी काबिज है। अपीलांट का कब्जा आराजी खसरा संख्या 99 की रकबा 0.056 हैक्टेयर वन भूमि पर न होकर ग्राम आलनिया की आराजी खसरा संख्या 98 की रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि पर है, जो राजस्व रिकोर्ड में गैर मुमकिन चाह सिवायचक दर्ज है, जिससे बेदखल करने का अधिकार परीक्षण न्यायालय को नहीं था तथा अपीलांट को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के एकपक्षीय कार्यवाही कर जबरन बेदखल कर दिया है। अतः अपील स्वीकार कर जेरअपील निर्णय निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.03.2021 न्यायोचित हैं। अपीलार्थी के द्वारा ग्राम आलनिया के खसरा संख्या 99 की रकबा 0.056 हैक्टेयर गैर मुमकिन जंगलात भूमि पर अतिक्रमी होने से परीक्षण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन कर नोटिस–सूचना/सुनवाई का अपीलांट को अवसर देकर निर्णय दिनांक 05.02.2019 पारित कर अतिक्रमी होने से उक्त भूमि से बेदखल कर धारा 91(2) एलआर एक्ट के तहत 2100/– रूपये शास्ति वसूल करने निर्णय पारित किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर कोटा द्वारा उक्त निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने तथा न्यायोचित होने से निर्णय दिनांक 02.03.2021 से अपील अपीलांट खारिज की गई है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली (प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं परीक्षण न्यायालय) का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील (प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 02.03.2021) के अवलोकन से प्रकट होता है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा ग्राम आलनियां की खसरा संख्या 99 की रकबा 0.056 हैक्टेयर वन भूमि में क्षेत्रीय वन अधिकारी मण्डाना की अतिक्रमण की रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वन भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 156/2018 दर्ज कर अपीलांट को अतिक्रमित की गई भूमि से बेदखली एवं 2100/– जुर्माना के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 05.02.2019 को निर्णय पारित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.02.2019 से अपील अस्वीकार कर निर्णय दिनांक 02.03.2021 से अपील खारिज की गई। अपीलांट का मुख्य तर्क है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपनी जवाबदेही करने का तथा साक्ष्य पेश करने का

तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी से जिरह करने का मौका प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय जेरअपील पारित किया है, जो निरस्तनीय है। जिस भूमि पर अपीलांट काबिज है, वह वन विभाग की भूमि नहीं है तथा ग्राम आलनिया जिसका खसरा संख्या 98 की 0.01 हैक्टेयर भूमि जो राजस्व रिकोर्ड गैर मुमकिन चाही सिवायचक दर्ज है। उक्त आराजी पर अपीलांट ने कच्चे पत्थरों से मकान बना रखा है तथा उक्त आराजी पर अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज चला आ रहा है। अपीलांट को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जबरन बेदखल कर दिया है। उक्त तथ्यों पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा गौर किये बिना जेरअपील निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। उपरोक्त विवेचानुसार परीक्षण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलांट के विरूद्ध (सम्वत् 2075 अनुसार) ग्राम आलनिया के खसरा संख्या 99 की 0.056 हैक्टेयर गैर मुमकिन जंगलात भूमि पर पक्का निर्माण होने से क्षेत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी होने का प्रकरण प्रकरण संख्या 156/2018–19 दर्ज कर परीक्षण न्यायालय द्वारा अतिक्रमी रामकरण पुत्र भूरा को दिनांक 05.02.2019 को उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में अतिक्रमी (अपीलांट) द्वारा वर्णित किया कि उक्त जमीन पर सौ साल पुराना कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त भूमि पर कच्ची टापरी बनाकर परिवार रह रहा था तथा पशुपालन का भी काम कर रहा था। इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलांट (अतिक्रमी) को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय दिनांक 05.02.2019 पारित किया गया है। इस संबंध में अपीलांट के इस कथन की पुष्टि नहीं होती है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय निर्णय पारित किया है। परीक्षण न्यायालय के पत्रावली/रिकोर्ड से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा ग्राम आलनिया के खसरा संख्या 99 रकबा 0.056 हैक्टेयर गैर मुमकिन जंगलात पर पक्का निर्माण होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर कोटा द्वारा प्रकरण में तथ्यों का समुचित परीक्षण कर उपलब्ध रिकोर्ड, दस्तावेजों के आधार पर जेरअपील निर्णय दिनांक 02.03.2021 पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

6 निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा